संख्या–181 / XXIV(8) / 2007

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (पौडी)

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2007

विषयः– पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–4539 / नि.प्रा.शि. / एका–03–1 / 2006–07 दिनांक 23 फरवरी 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, अधिष्ठान के मानक मद 08–कार्यालय व्यय एवं 15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2 व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा मितव्ययीता के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र, बी.एम–15 के कॉलम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1863 / xxvii(3) / 2006 दिनांक 22 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2 कोषाधिकारी, पौडी, उत्तराखण्ड।
3 वित्त अनुभाग–3।
4 एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी0एम0–15
(पैरा–158)

नियत्रक अधिकारी:– सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड | प्रशासकीय विभाग:– निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड

अनुदान संख्या–11 : आयोजनेत्तर | (धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	पुनर्विनियोग हेतु लेखाशीर्षक एवं धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि स्तम्भ–1	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2203–तकनीकी शिक्षा–00–001–निदेशन तथा प्रशासन 03–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, मानक मद				2203–तकनीकी शिक्षा–00–001–निदेशन तथा प्रशासन 03–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, मानक मद			कार्यालय एवं पेट्रोल मद में लम्बित देयकों के भुगतान हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था किये जाने के लिए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
01–वेतन – 1068	745	968	100	08–कार्यालय व्यय – 50	170	75	
03–महगाई भत्ता – 449	282	374	75	18–गाड़ियों का अनुरक्षण – 50 और पेट्रल आदि की खरीद	280		
योग:– 1517	1027	1342	175	100	450	75	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुवल के परिच्छेद 150, 151,155, 156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
संख्या–1863(1)/XXVII(3)/2006
देहरादून: दिनांक 22,मार्च, 2007

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,(लेखा एवं हकदारी)
औवेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

एन. एन. थपलियाल
अपर सचिव, वित्त

संख्या:–181/XXVII(3)/2007 दिनांक तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3 कोषाधिकारी, पौड़ी।
4 वित्त अनुभाग–3
5 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव